उत्तर प्रदेश शासन

पंचायतीराज अनुभाग-2

संख्या-6/2016/650/33-2-16-700(42)/1986

लखनऊ: दिनांक 22 अप्रैल, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

जिला पंचायत के नियमित रूप से नियुक्त अवर अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.04.1996 में श्री आलोक चन्द्र गौड़ का नाम ज्येष्ठता क्रमांक-133 पर अवस्थित है और उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि 25.05.1984 अंकित है। संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरांत पाया गया कि श्री गौड़ की मौलिक नियुक्ति की तिथि 24.05.1985 है। अत: ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.04.1996 में श्री गौड़ की वास्तविक मौलिक नियुक्ति की तिथि 24.05.1985 अंकित करने एवं तदनुरूप उनका नाम ज्येष्ठता क्रमांक-133 से विलोपित करते हुए ज्येष्ठता क्रमांक-145 पर अवस्थित श्री विजय कुमार शर्मा (मौलिक नियुक्ति की तिथि 21.01.1985) के नीचे और ज्येष्ठता क्रमांक-144 पर अवस्थित श्री इरसाद अहमद अंसारी (मौलिक नियुक्ति की तिथि 15.07.1985) के ऊपर ज्येष्ठता क्रमांक-145ए पर प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2- उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुसार ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.04.1996 में आंशिक संशोधन किये जाने हेतु शासनादेश सं0-3492/33-2-15-700(42)/1986, दिनांक 04.11.2015 द्वारा जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारियों के माध्यम से अवर अभियंताओं के मध्य परिचालित कराते हुए आपत्तियाँ आमंत्रित की गयीं। इस संबंध में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारियों को अनुस्मरण पत्र दिनांक 11.02.2016 भी प्रेषित किया गया।

3- इस संबंध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सहारनपुर द्वारा श्री आलोक चन्द्र गौड़, अवर अभियंता की अनापत्ति भेजी गयी तथा अन्य जिला पंचायतों से कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अत: उक्त वर्णित स्थिति में अवर अभियंता की अंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.04.1996 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री आलोक चन्द्र गौड़, अवर अभियंता की वास्तविक मौलिक नियुक्ति की तिथि 24.05.1985 अंकित करते हुए उनका नाम ज्येष्ठता क्रमांक-133 से विलोपित करते हुए ज्येष्ठता क्रमांक-145ए (ज्येष्ठता क्रमांक-145 के नीचे एवं ज्येष्ठता क्रमांक-146 के ऊपर) पर अंतिम रूप से प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

भवदीय,

(सुशील कुमार मौर्य)
विशेष सचिव।

संख्या-6/2016/650(1)/33-2-2016-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0 ।

5- समस्त संबंधित अवर अभियंता द्वारा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें उ0प्र0।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द प्रधान)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।